भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 176
दिनांक 21 जून, 2019 को उत्तर के लिए

बाल देखभाल संस्थाओं में शारीरिक दंड

176. श्री असादुद्दीन ओवैसीः

क्या महिला और बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या वर्ष 2016-17 के बीच बाल गृहों से संबंधित एकत्रित आंकड़ों के विश्लेषण से यह पता चलता है कि देश में लगभग 4130 बाल देखभाल संस्थाओं ने नियमों का उल्लंघन करने वाले बच्चों को अनुशासित करने हेतु उन्हें शारीरिक दंड दिए जाने या उन्हें अपमानित करने की बात स्वीकार की है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या सरकार ने वर्ष 2017-18 और 2018-19 के दौरान इस संबंध में उपलब्ध आंकड़ों का विश्लेषण किया है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या बाल देखभाल संस्थाओं की जांच हेतु गठित समिति की सिफारिशों की सरकार द्वारा समीक्षा की गई है एवं उन्हें कार्यान्वित किया गया है;
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;
(ङ) क्या सरकार ने राज्यों को विशेष रूप से बिहार में मुजफ्फरपुर में घटित घटना के बाद राज्यों को कोई परामर्श जारी किया है; और
(च) यदि हां, तो समिति की सिफारिशों पर सरकार ने राज्यों की सलाह से क्या कदम उठाए हैं या उठा रही है?

उत्तर

श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी महिला एवं बाल विकास मंत्री

(क) से (च) : महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने वर्ष 2016 में बाल देखभाल संस्थानों (सीसीआई) की राष्ट्रीय मानचित्रण कार्रवाई कि ताकि यह पता चल सके कि राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों द्वारा किशोर न्याय (बालकों की देखभाल एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 (जेजेएक्ट) के अन्तर्गत् चलाए जा रहे बाल देखभाल संस्थान क्या जेजे एक्ट और उसके तहत बनाए गए नियमों द्वारा अधिदेशित मानकों के अनुरूप हैं और जहां आवश्यक हो, वहां सुधारात्मक उपाय किए जाएं । विश्लेषण से पता चला है कि कई सीसीआई बच्चों को अनुशासित करने के ऐसे रूपों का उपयोग करते हैं जो जेजे एक्ट द्वारा परिभाषित शारीरिक दंड के दायरे में आते हैं ।
मंत्रालय ने दिनांक 4 मई, 2017 के पत्र द्वारा निष्कर्षों की ओर उनका ध्यान आकर्षित करते हुए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ जानकारी साझा की । मंत्रालय ने किशोर न्याय (बालकों की देखभाल तथा संरक्षण) अधिनियम, 2015 के तहत यथा-निर्धारित अनिवार्य निगरानी की आवश्यकता पर बल दिया जो बाल कल्याण समितियों, किशोर न्याय बोड्र्स और राज्य सरकारों द्वारा नियमित रूप से निगरानी को अनिवार्य करता है । जेजे एक्ट के निष्पादन की प्राथमिक जिम्मेदारी राज्य सरकारों/ संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों की है ।

सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य सचिवों से अनुरोध किया गया था कि वे निरीक्षण जिला मजिस्ट्रेटों की देखरेख में करवाएं । मंत्रालय ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को एक एडवाईजरी भी जारी की थी कि किसी भी बाल देखभाल संस्थान में बच्चों कें साथ दुर्व्यवहार के मामले में आवश्यक कार्रवाई की जाए ।

*****